राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

कृष्ण कुमार बनाम विजय कुमार

प्रकरण का प्रकार प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 4 एवं आदेश 41 नियम 19 सीपीसी

क्रमांक 233 / 2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 4 एवं आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पर विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ी तरफ से श्री शिवप्रताप जांगिड़ अधिवक्ता उपस्थित थे जिन्होंने अपीलार्थी को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नही होने की हिदायत दी हुई थी तथा अपीलार्थी को आवश्वासन दिया था कि सिविल प्रकरण है जिसमें प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रार्थी की आवश्यकता होगी प्रार्थी को सूचित कर दिया जावेगा। अधिवक्ता श्री शिवप्रताप जांगिड़ का स्वर्गवास हो गया जिसका वर्तमान बठिण्डा में रहने के कारण ज्ञान नही हो सका। श्री शिवप्रताप जांगिड़ के स्वर्गवास हो जाने की जानकारी न होने के कारण प्रार्थी अपना नया अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सका। प्रार्थी को न्यायालय में 30.08.2016 को न्यायालय में अपनी अपील के बारे में पता करने पर अपील के अदम हाजरी में खारिज होने का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अंतः देरी क्षमा क जावे एवं प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील सं0 14422005 अनवान कृष्ण कुमार बनाम विजय कुमार को पुनः रेस्टोर किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रार्थीने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी ने पूर्व में अपील को रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना–पत्र सं0 217 / 2016 पेश किया था जो दिनांक 09.08.2018 को खारिज किया गया है। प्रार्थी ने पुनः उन्हीं आधारों पर यह प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया हैं। प्रार्थी बार–बार मिथ्या तथ्यों के साथ प्रार्थना–पत्र पेशकर रहा है। प्रार्थी ने मियाद बाहर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2016 (4) पेज 1710, डीएनजे 2014 (2) पेज 763, डीएनजे 2014 (1)	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

	पेज 140 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। दिद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय मं अपील संख्या 144/2008 अनवान कृष्ण कुमार बनाम विजय कुमार विचाराधीन थी जो दिनांक 22.06.2016 को अदम हाजरी में खारिज हो गई थी। जिसे रेस्टोर कराने के लिए प्रार्थी ने पूर्व में आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो भी दिनांक 09.08.2018 को अदम हाजरी में खारिज हो गया था। अब अपीलाण्ट ने पुनः आदेश 9 नियम 4 व आदेश 41 नियम 19 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश कर उपरौक्त दोनों अपील एवं प्रार्थना–पत्र को रेस्टोर करने का निवेदन किया है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में अपील को रेस्टोर कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। अब पुनः अपीलाण्ट/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 4 व आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19.9.22 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	